{ खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं - परमहंस योगानंद }

सम्पादकीय

हार की खीझ ईवीएम पर थमना चाहिए सिलसिला

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के स्थान पर मत पत्र से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। और भी अच्छा होता कि उसकी ओर से इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते, क्योंकि रह-रहकर ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती रहती हैं, जिनमें ईवीएम में कोई न कोई खामी गिनाकर उसे संदिग्ध बताया जाता है। यह सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि कुछ दलों, नेताओं और कथित लोकतंत्र हितैषियों ने ईवीएम को बदनाम करने को अपना पेशा बना लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि आखिर चुनाव हारने पर ही ईवीएम की शिकायत क्यों की जाती है? यह प्रश्न केवल याचिकाकर्ता के ही इरादों को बेनकाब करने वाला नहीं है, बल्कि उन नेताओं के दुष्प्रचार की पोल खोलने वाला भी है, जो महाराष्ट्र के चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर हाय-तौबा मचाने में लगे हुए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि जो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के आधार पर ईवीएम को दोष दे रहे हैं, वही झारखंड के परिणामों पर मौन साधे हुए हैं। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ईवीएम ने सही तरह काम नहीं किया, लेकिन झारखंड में किया? वे महाराष्ट्र में मत पत्रों के जरिये चुनाव की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन यह कहने से बच रहे हैं कि ऐसा ही झारखंड में किया जाना चाहिए।

बीते कुछ वर्षों में ईवीएम को विश्वसनीय बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन उस पर हार की खीझ निकालने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले यह व्यवस्था की गई कि मतदाता को यह दिखे कि उसका वोट उसी प्रत्याशी को ही गया, जिसको उसने दिया है। इसके बाद मतदान पर्ची यानी वीवीपैट की व्यवस्था की गई। फिर एक निश्चित संख्या में वीवीपैट का ईवीएम में दर्ज वोटों से मिलान किया जाने लगा। इस सबके बाद भी सदा असंतुष्ट रहने वालों को चैन नहीं। अब वे यह नई शिकायत लेकर आ गए हैं कि इस्तेमाल के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत कैसे दिखती है।

चुनाव आयोग ने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों की सेहत पर कोई असर नहीं। इनमें से अनेक वे हैं, जो ईवीएम के स्थान पर मत पत्र को बेहतर बताने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के शुभचिंतक नहीं हो सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि जब मत पत्र से चुनाव होते थे, तब किस तरह धांधली होती थी। तब मत पत्रों के साथ-साथ मतपेटियों की भी लूट होती थी। कुछ समय पहले बंगाल में पंचायत चुनावों के समय मतपेटियां तालाबों में पाई गई थीं। क्या मत पत्र से चुनाव की वकालत करने वाले ऐसी ही घटनाएं देश भर में देखना चाहते हैं। यदि नहीं तो फिर वे चुनाव प्रक्रिया को बैलगाड़ी युग में क्यों ले जाना चाहते हैं?

विशेष

संभल सरीखे विवाद पर होश संभालें, सर्वे मात्र से कोई मस्जिद मंदिर में तब्दील नहीं होने वाली

संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अर्से से यह कहा जा रहा है कि यहां पहले भगवान विष्णु के नाम का हरिहर मंदिर था जिसे बाबर के आदेश पर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। ऐसा कई इतिहासकार भी कहते हैं। मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कराए जाने के दावे के आधार पर कुछ लोग स्थानीय अदालत गए। 19 नवंबर को अदालत ने सर्वे के आदेश दिए।

■ राजीव सचान

मंदिर-मस्जिद विवाद में किसी भी भारतीय नागरिक को इतनी समझ होनी ही चाहिए कि यदि कोई अदालत किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश दे देती है तो सर्वे होने मात्र से मंदिर का दावा करने वाले उस पर कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम यह कहता है कि सभी धार्मिक स्थल उसी स्थिति में रहेंगे, जैसे वे 15 अगस्त 1947 को थे।

यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश देने के साथ ही इसकी भी अनुमति देता है कि किसी स्थल का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए उसका सर्वे हो सकता है। इसी के चलते पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ और फिर धार, मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर का। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इससे हर कोई परिचित होगा कि ज्ञानवापी और भोजशाला में सर्वे के दौरान वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा संभल में हुआ। संभल में इतना अधिक उपद्रव हुआ कि चार लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी हैं। संभल में भीषण पत्थरबाजी यही संकेत कर रही है कि उसके लिए पहले से तैयारी की गई थी।

संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अर्से से यह कहा जा रहा है कि यहां पहले भगवान विष्णु के नाम का हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर के आदेश पर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। ऐसा कई इतिहासकार भी कहते हैं। मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कराए जाने के दावे के आधार पर कुछ लोग स्थानीय अदालत गए। 19 नवंबर को अदालत ने सर्वे के आदेश दिए। सर्वे का काम उसी

दिन शाम को शुरू हो गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह पूरा नहीं हो पाया और यह तय हुआ कि आगे फिर किसी दिन होगा। इसे रोकने के लिए ऊपरी अदालत जाने का रास्ता खुला था। लगता है कि उसका सहारा लेने के बजाय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करना बेहतर समझा। पत्थरबाजी के बीच पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया और गोलीबारी भी की गई। पुलिस की मानें तो जो चार लोग मरे, वह उसकी गोली से नहीं मरे। पता नहीं सच क्या है। अब इस पर खूब बहस हो रही है कि हिंसा क्यों हुई और किसने की? शायद इसका पता चल जाए, लेकिन इससे वे वापस नहीं आने वाले, जिनकी जान चली गई।

पता नहीं संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर क्या अफवाह उड़ाई गई, लेकिन यह तो साफ ही है कि सर्वे के बाद भी यथास्थिति में कोई बदलाव होने वाला नहीं था। आखिर जब अयोध्या में मंदिर के अकाट्य प्रमाण मिलने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका तो भला संभल में कैसे हो जाता? यह एक तथ्य है कि ज्ञानवापी और भोजशाला के सर्वे के बाद भी यथास्थिति कायम है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे से आपा खोने वालों की आपत्ति का यह एक आधार हो सकता है कि आखिर स्थानीय अदालत के मस्जिद के सर्वे के आदेश पर तुरंत अमल क्यों होने लगा, लेकिन क्या इस आपत्ति का जवाब पत्थरबाजी थी? जामा मस्जिद के सदर जफर अली की मानें तो भीड़ इसलिए भ्रमित हो गई, क्योंकि मस्जिद के सर्वे के क्रम में वजूखाने के हौज का पानी बाहर निकाले जाने से लोगों को लगा कि उसकी खोदाई शुरू हो गई है।

यह अजीब और हास्यास्पद है, क्योंकि कथित भ्रमित लोग नकाब पहनकर पत्थरबाजी करते देखे गए। यह पहली बार नहीं, जब सरकार या अदालत के किसी फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हिंसा की गई हो। नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला था। तब सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर हिंसा की गई थी, जबकि इस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं था। इस हिंसा में सरकारी और गैरसरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया गया था और दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में करीब साल भर तक एक प्रमुख सड़क को घेरकर धरना दिया गया था। यही धरना बाद में दिल्ली में भीषण दंगे का कारण बना, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे।

यह संभव है कि किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को कोई फैसला रास न आए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह वैसा करे, जो संभल में किया गया। किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि यदि कोई काम उसके मन का न हो तो वह मनमानी करे। मंदिर-मस्जिद विवादों के हल के लिए दो ही उपाय हैं-एक, अदालतों के जरिये और दूसरा, आपसी सहमति के माध्यम से। आपसी सहमति से मंदिर-मस्जिद के विवाद हल हो सकते हैं, इसका प्रमाण है गुजरात का पावागढ़ मंदिर। इस प्राचीन मंदिर के शिखर को 15वीं सदी में आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगड़ा ने ध्वस्त कर वहां एक पीर की दरगाह बनवा दी थी। दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की सहमति बनी और इस तरह सैकड़ों साल बाद 2002 में मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया गया। यह एक तथ्य है कि देश में न जाने कितने मंदिर हैं, जिन्हें आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर वहां मस्जिदें बनवाईं। यह ठीक नहीं होगा कि हर ऐसी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जाए। ऐसा तो कुछ चुनिंदा मामलों में ही हो सकता है। जहां ऐसा नहीं हो सकता, वहां साक्ष्यों के आधार पर केवल इतना अंकित कर देना भर पर्याप्त होगा कि पहले यह स्थल एक मंदिर था। देश को आगे बढ़ना है तो उसे मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलना ही होगा।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

प्रदेश

सीओपीडी को महामारी के रूप में उभरने के कारण शीघ्र निदान-जन जागरुकता की आवश्यक : डॉ. शर्मा

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

ऐसे समय में जब भारत क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो लगभग 13.1 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करता है। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जयपुर राष्ट्रीय सीओपीडी दिवस-2024 के अवसर पर शीघ्र निदान, नियमित फेफड़ों के कार्य मूल्यांकन और जन जागरुकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है। अक्सर 'साइलेंट एपिडेमिक' के रूप में जाना जाने वाला सीओपीडी दुनिया भर में सालाना 3 मिलियन से अधिक मौतों का कारण है। भारत में बड़ी संख्या में मामलों का निदान नहीं होने के कारण, इस बढ़ती चुनौती से निपटने की तत्काल आवश्यकता है।

नवंबर को राष्ट्रीय सीओपीडी माह के रूप में मनाया जाता है, इस पुरानी बीमारी से निपटने के लिए शीघ्र निदान, बेहतर उपचार और जन जागरुकता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत में सीओपीडी देश के विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों का लगभग 3 प्रतिशत योगदान देता है और हृदय रोग के बाद मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। इस वर्ष की थीम 'अपने फेफड़ों के कार्य को जानें', स्पिरोमेट्री के महत्व पर जोर देती है-फेफड़ों के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक सरल, गैर-आक्रामक परीक्षण। स्पिरोमेट्री न केवल सीओपीडी के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि जीवन भर फेफड़ों के कार्य की निगरानी करने में भी मदद करती है।

थीम इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि सीओपीडी तंबाकू के उपयोग से परे कारकों के कारण होता है, जिसमें श्वसन संक्रमण, अस्थमा, तपेदिक, निमोनिया और कम जन्म वजन शामिल हैं, जिससे फेफड़े अविकसित होते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विनोद शर्मा कहते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव के बावजूद, सीओपीडी भारत में सबसे कम निदान और कम इलाज वाली स्थितियों में से एक है। स्पिरोमेट्री जैसे सरल उपकरणों के माध्यम से प्रारंभिक पहचान समय पर हस्तक्षेप को सक्षम करके रोगी के परिणामों को बदल सकती है जो लक्षणों को कम करती है, फेफड़ों के कार्य को बेहतर बनाती है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। धूम्रपान एक प्रमुख कारण है, लेकिन श्वसन संक्रमण, अस्थमा, तपेदिक, निमोनिया और यहां तक कि कम वजन वाले जन्म जैसी स्थितियों जैसे अन्य कारकों को पहचानना भी महत्वपूर्ण है, जिससे फेफड़े अविकसित हो जाते हैं। जागरुकता बढ़ाना और सुलभ निदान सुनिश्चित करना इस मूक महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकारी स्कूल के बच्चों को जर्सी और कंप्यूटर-प्रिंटर किए भेंट

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। राजधानी जयपुर के रामगंज में मंडी खटीकान स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र और रेलवे से सेवानिवृत्त मुख्य कार्यालय अधीक्षक विनोद खींची ने स्कूल के कक्षा 1 से 6 तक के लगभग 120 छात्र-छात्राओं को वूलन जर्सी, स्कूल के लिए कंप्यूटर, एलईडी मोनिटर, 3 इन 1 प्रिंटर और क्लास रूम्स के लिए दीवार घड़ियां भेंट दी। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य प्रीति भार्गव ने खींची उनकी पत्नी मीना खींची को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने का कि लगभग 57 वर्ष पहले इसी स्कूल में मैंने भी शिक्षार्थ प्रवेश लिया तथा प्राथमिक शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी। विद्यार्थियों तथा शिक्षकों से साथ मिलने एवं पे बैक टू सोसायटी के रूप में इस संस्था को अपना योगदान अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

'मेरा संविधान-मेरा अभिमान' के अंतर्गत विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड एवं राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय चंद्रबदनी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में मेरा संविधान-मेरा अभिमान कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजकीय महाविद्यालय नारायणगढ़, अंबाला हरियाणा के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉ. जगदीप सिंह रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. विजय कुमार अग्रवाल, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल तथा विशिष्ट अतिथि प्रो. महंत मौर्य, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय चंद्रबदनी तथा वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक राजस्थान की प्रो. निर्मला सिंह रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. शैलेंद्र मौर्य ने की। डॉ. जगदीप सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा संविधान हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय है।

प्रो. विजय कुमार अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि संविधान राजनीतिक व्यवस्था का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विकास का दस्तावेज होता है। प्रो. महंत मौर्य ने कहा कि संविधान निर्माण में डॉ. अंबेडकर की अतुल्य योगदान के कारण ही उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉ. शैलेंद्र मौर्य ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता भारतीय संविधान की विशेष गुण है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कविता अहलावत एवं डॉ. गौरव नेगी ने किया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. वंदना ने अतिथियों को आभार व्यक्त किया।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत

ग्रेटर निगम की टीमों ने नियम विरूद्ध लगे एरियल केबल को हटाया

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा अनाधिकृत एवं नियम विरूद्ध लगाई गई एरियल केबल एवं अनाधिकृत स्व: निर्मित पोल्स को हटवाने संबंधी कार्रवाई की गई।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के आयोजन के दृष्टिगत शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिए नगर निगम ग्रेटर लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के तहत बुधवार को सुबह 10 बजे से ही कनोडिया कॉलेज से जेडीए सर्किल, जेडीए सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल से अल्बर्ट हॉल, जेके लोन हॉस्पिटल, नारायण सिंह सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल, आरबीआई से मोती डूंगरी रोड अन्य मार्गों से नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। मालवीय नगर जोन में यह कार्रवाई उपायुक्त राजस्व प्रथम, लाईन्सेस, होर्डिंग शाखा, गैराज शाखा, विद्युत शाखा एवं सतर्कता शाखा द्वारा संयुक्त रूप से की गई। आयुक्त ने बताया कि विभिन्न टेलीकॉम प्रदाता कम्पनी एवं अन्य डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा नगर निगम के विद्युत पोल्स पर लगाई गई अवैध एरियल केबल एवं अवैध क्रॉसिंग को संयुक्त टीमों द्वारा अभियान चलाकर हटाया गया। इसके साथ ही ऐसे स्थानों पर विजिलेंस टीम द्वारा गश्त भी करवाई जाएगी, जिससे अवैध केबल लगने की पुनरावृत्ति ना हो सके। उन्होंने बताया कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा बिना अनुमति के लगाए जाने वाली एरियल केबल को हटाने की कार्रवाई के साथ ही संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी के विरूद्ध विधिक कारवाई की जाती रहेगी।

भागलपुर-अजमेर-भागलपुर ट्रेन अब हमसफर के रूप में होगी संचालित

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। रेलवे द्वारा भागलपुर-अजमेर-भागलपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलसेवा को अब हमसफर के रूप में संचालित किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 13423/13424, भागलपुर-अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस रेलसेवा भागलपुर से 06.03.25 से एवं अजमेर से 08.03.25 से गाड़ी संख्या 13423/13424, भागलपुर-अजमेर-भागलपुर हमसफर रेलसेवा के रूप में संचालित होगी। इस रेलसेवा में 19 थर्ड एसी, 02 पॉवरकार व 01 पेट्रीकार डिब्बों सहित कुल 22 डिब्बे होंगे।

बेहोशी की हालत में चरक भवन के बाहर पड़ा मिला बुजुर्ग

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। एसएमएस के चरक भवन गेट नंबर 7 के बाहर सर्विस रोड पर बुधवार को एक लावारिस बुजुर्ग बेहोशी की स्तिथि में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे एसएमएस थाना के हेड कांस्टेबल होती लाल चौधरी, चरक भवन से नर्सिंग ऑफिसर रजनीकांत भारद्वाज, गार्ड अनिल कुमार जाट, रामावतार बैरवा, रोहित भट्ट, राहुल गहलोत ने पहुंचकर एंबुलेंस से उसे एसएमएस इमरजेंसी पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया।